

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 74]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 22 फरवरी 2021—फाल्गुन 3, शक 1942

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2021

क्र. एफ 3-1-2021-छब्बीस-1.—दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन दिव्यांगजन के लिये पदों के चिन्हांकन हेतु पदों के चिन्हांकन के लिए समिति के अनुसार, एतद्द्वारा, अनुसूची-एक के नगरीय विकास एवं आवास विभाग की स्थापना में अनुसूची-2 में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए आरक्षित पदों को चिन्हांकित करती है, अर्थात्:—

अनुसूची—एक

(1) नगरीय विकास एवं आवास विभाग

अनुसूची—दो
दिव्यांगजनों के लिये पदों का चिन्हांकन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पद	योग	निःशक्तजनों के लिये चिन्हांकित कुल पद (06 प्रतिशत के मान से)	चिन्हांकित पद/संवर्ग एवं संख्या				योग अभियुक्ति (6+ 7+ 8+9)	
					दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5 %)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5 %)	लोकोमो-टर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित हैं, सेरेब्रल पाल्सी कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मस्कुलर डिस्ट्राफी (1.5 %)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5 %)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
द्वितीय "B" श्रेणी	सी.एम.ओ. सहायक यंत्री (सिविल).	54	54	3	1	1	1	0	3	
		79	79	5	1	2	1	1	5	
तृतीय "C" श्रेणी	सी.एम.ओ.	133	133	8	2	2	2	2	8	

No.- F-3-1-2021-26-1-In exercise of the powers conferred by section 101 of the Rights of Person with Disabilities Act, 2016 (No.49 of 2016), the State Government, in accordance with the committee for the identification of the posts for the disabled persons under the provisions of rule 17 of the Madhya Pradesh Rights of Persons with Disability Rules, 2017, hereby, identifies the posts reserved for the Disabled Persons as per the specifications prescribed in Schedule-II in the establishment of Urban Development and Housing Department of Schedule I, namely :-

Schedule-I

- (1) Urban Development and Housing Department

Schedule-II

Identification of Posts for the Disabled

Department- Urban Development and Housing Department

Category	Post/Cadre	Posts sanctioned for direct recruitment	Total	Total Posts Identified for the disabled (According to 6 percent)	Identified Post/Cadre and no.				Total (6+7+8+9)	Remark
					Visually impaired and low vision (1.5%)	Hearing Impaired Deaf and Hard of Hearing (1.5%)	Locomotor Disability including Cerebral Palsy, Leprosy cured person, Dwarfism, Acid Attack Victim and Muscular Dystrophy (1.5%)	Autism, Intellectual Disability, Specific learning Disability, Mental Illness and Multiple Disability (1.5%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Second	C.M.O. Class "B" Assistant Engineer (Civil)	54 79	54 79	3 5	1 1	1 2	1 1	0 1	3 5	
Third	C.M.O. Class "C"	133	133	8	2	2	2	2	8	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बूटासिंह इवने, उपसचिव.